न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस
राजस्व अपील :: 08/2019
जीसीएमएस नम्बर :: 2019/00065

अपीलाण्ट्स :-	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :-
1. पंछीराम पुत्र स्व. थाना 2. भंवरलाल पुत्र स्व. थाना 3. वेनाराम पुत्र स्व. थाना 4. जोगाराम पुत्र स्व. थाना 5. ओमाराम पुत्र स्व. थाना 6. राजी पत्नी स्व. थाना तमाम जातिगण भाट निवासीगण भांगेसर तहसील व जिला पाली (राज.)		1. रणकाराम पुत्र राणाराम जाति भाट निवासी भांगेसर तहसील व जिला पाली (राज.) 2. दरबाराराम पुत्र जेठाराम जाति भाट निवासी भांगेसर तहसील व जिला पाली (राज.) 3. नायब तहसीलदार पाली(राज.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- **23.09.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के नायब तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1066 दिनांक 04.10.2001 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल व रेस्पोडेण्ट्स रेस्पोडेण्ट्स के नाम सम्मन अखबार में प्रकाशन के बावजूद भी न्यायालय में वक्त बहस अनुपस्थित आये। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर आराजी मौजा भांगेसर की सरहद में स्थित खसरा संख्या 520/4 रकबा 70 बीघा 14 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट्स संख्या 01 से अपीलाण्ट संख्या 05 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 06 के पति स्व. श्री थानाराम के नाम आई हुई है। स्व. थानाराम जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिश केवल अपीलाण्ट ही है इनके अलावा उनका कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं था। थानाराम जी के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण भरा गया जिसमें अपीलाण्ट्स के नाम के साथ-साथ रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पों. संख्या 02 के नाम भी थानाराम के पुत्र की हैसियत से दर्ज कर दिये गये जबकि रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 कभी स्व. थानाराम के वारिश थे ही नहीं। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। जैर नामान्तरकरण अपीलाण्ट्स को बिना सुनवाई का अवसर दिये· रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 का गलत रूप से अमल दरामद किया जो प्रारम्भ से ही शून्य होने से विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। जैर आराजी पर अपीलाण्ट के मालिकाना हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि है, तथा अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगातार नियमित रूप से उपयोग उपभोग भी किया गया व जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जिससे भी

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य कथन यह है कि जैर आराजी के संबंध में मृतक थाना के विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट्स के नाम के साथ–साथ रेस्पो. संख्या 01 रणकाराम व रेस्पो. संख्या 02 दरबारराम के नाम भी दर्ज कर दिये जो कभी मृतक थानाराम के वारिश होने की कोई साक्ष्य नहीं है। रेस्पो. संख्या 01 रणकाराम के पिता का नाम राणाराम व रेस्पो.: संख्या 02 दरबारराम के पिता का नाम जेठाराम है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य यथा निर्वाचन नामावली से प्रथम–दृष्ट्या उक्त तथ्य उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद जैर नामान्तरकरण में संशोधन का विषय है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के पिता के नाम बाबत् विधिवत उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए नव सरे निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.10.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **23.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner